

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ए
चण्डीगढ़-160030
दिनांक 01.12.2016

फाईल नम्बर-9-ERB097/2016-CHA

सेवा में

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ.सी.)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हरियाणा सरकार,
C-18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा।

विषय:- Diversion of 0.036484 ha of forest land for access to Raheja Aranya Plotted Colony Project along gurgaon-Alwar road, KM. 28-29, L/s at village Raipur, under Forest Division and District Gurgaon, Haryana

संदर्भ:- 1. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (FC) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन 6169/2644 दिनांक 24.11.16

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए ~~0.036484~~ ha वन भूमि की मांग की गई है।


0.036484 ha

2. कृपया इस प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित आवश्यक जानकारी भेजने का कष्ट करें।

1) यह स्पष्ट करे कि Adhoc CAMPA के खाते में जमा की गई CA levies की राशि को e.portal के माध्यम से online जमा क्यों नहीं करवाया गया।

3. ऊपर की गई पूछताछ का जवाब इस पत्र के जारी होने के 60 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय


(सोम दत्त शर्मा)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिपिपित

1. Divisional Forest Officer, Forest Division and Distt. Gurgaon, Haryana.
2. M/s Raheja Developers Ltd. W-4D 204/5, Keshav Kunj Cariappa Marg Sainik Farms New Delhi